न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :– कमर चौधरी
आई0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र सं0 62/2022

बैंक ऑफ बडौदा, शाखा जयपुर रोड, दौसा जरिये प्राधिकृत अधिकारी नमृता दुबे
...प्रार्थी

बनाम

1. श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद शर्मा
पता–खोरा खुर्द, कुण्डल, दौसा राजस्थान
....ऋणी

2. श्री गोरधन शर्मा पुत्र श्री कल्याणसहाय शर्मा
पता–खोरा खुर्द, कुण्डल, दौसा राजस्थान
....सहऋणी एवं जमानतदार

3. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा पुत्र श्री कल्याणसहाय शर्मा
पता–खोरा खुर्द, कुण्डल, दौसा राजस्थान
....सहऋणी एवं जमानतदार

प्रा0 पत्र अ0धा0 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम– 2002 बंधक संपत्ति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

उपस्थित : श्री रोशन कुमावत, अधिवक्ता प्रार्थी।

आदेश दिनांक: 02.09.2022

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा, शाखा जयपुर रोड, दौसा ने अप्रार्थी/ऋणी श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद शर्मा निवासी ग्राम–खोरा खुर्द, कुण्डल, दौसा राजस्थान एवं सहऋणीगण को 23,71,000/–(रूपये तेईस लाख इकहत्तर हजार मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी/सह ऋणीगण द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी एवं सह ऋणीगण द्वारा बैंक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी व सहऋणीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने एवं समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त हेतु The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002 की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

अधिवक्ता प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा, शाखा जयपुर रोड, दौसा को सुना गया। हमने प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा, शाखा जयपुर रोड, दौसा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा, शाखा जयपुर रोड, दौसा का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस एवं समाचार पत्रों के माध्यम से

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:52:39 IST
Reason: SelfAttested

.....निरंतर 2 पर

प्रार्थना पत्र सं0 62/2022

नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र के अनुसार बंधक रखी गई श्री जगदीश प्रसाद शर्मा एवं श्री गोरधन शर्मा की आवासीय सम्पत्ति जो प्लॉट नंबर पी–616, खसरानबर 257, अयोध्या नगर, राजव ग्राम दौसा कलां, तहसील व जिला दौसा राजस्थान में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 200.00 वर्गगज है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा, शाखा जयपुर रोड, दौसा को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 02 सितम्बर, 2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर,दौसा

जिला कलेक्टर,दौसा

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:52:39 IST
Reason: SelfAttested